न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 164 / 05 / दावा

मुकेश कुमार बनाम ग्यारसी लाल आदि

दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम के अभाव में दावा अबेट किये जाने,

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
2. श्री हरदेवाराम मुण्डा वकील उतरदाता / वादी की ओर से

निर्णय दिनांक– 21.07.2015

1. प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 जरिये मुख्त्यार श्री हनुमान प्रसाद जरिये वकील श्री योगेश शर्मा की ओर से आवेदन दिनांक 19.6.2012 को पेश कर निवेदन किया है कि उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी सं. 8 संजयकुमार का अर्सा करीब 19–20 माह पूर्व देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी सं. 8 वादी का सगा भाई है जिसकी मृत्यु की जानकारी वादी को भली प्रकार है। परन्तु वादी ने आवेदन आदेश 22 नियम 4 के अनुसार मृत्यु के 90 दिवस में कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए वादी का उक्त वाद पत्र कायम मुकाम के अभाव में अबेट फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसी प्रकार एक अन्य आवेदन दिनांक 29.8.2012 को पेश कर निवेदन किया है कि उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 बृजमोहन का स्वर्गवास दिनांक 06.12.2009 को हो चुका है जिसकी सूचना प्रार्थी / वादी को पहले से ही थी क्योंकि इसी सम्बन्ध में एक दावा माननीय अपर जिला जजी महोदय, सीकर क्र.सं. 2 के यहां विचाराधीन प्रकरण बउनवानी भंवरलाल बनाम ग्यारसीलाल आदि दावा सं. 175 / 05 में वादी भंवरलाल द्वारा मृतक बृजमोहन की सूचना बाबत बनये जाने कायम मुकाम का आवेदन भी दिनांक 07.1.10 को पेश किया जा चुका हैं वादी की मृत्यु की जानकारी उनके पुत्रों एवं उनके भतीजे को जानकारी होने के बावजूद आज तक माननीय न्यायालय हाजा में कायम मुकाम का आवेदन पेश नहीं किया गया है इसलिए भी वादी का दावा अबैट फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी सं. 8 संजयकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद का देहान्त करीब 24 माह पूर्व हो चुका है जो कि वादी का सगा भाइ था जिसकी भी सूचना आज तक वादी द्वारा नहीं दी गई है। हम प्रतिवादी द्वारा ही माननीय न्यायालय को दी गई है। इसके बावजूद भी आज तक इस प्रकरण में माननीय

रखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दावा अबेट करने का आवेदन पेश करने में हुई त्रुटि के लिये प्रतिवादी सं. 1 क्षमा प्रार्थी है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। आवेदन के साथ फोटो प्रति न्यायालय एडीजे क.सं. 2 सीकर आवेदन बाबत वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने द्वारा भंवर लाल पेश की गई है।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी द्वारा आदिनांक आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया एवं न ही कायम मुकाम आवेदन प्रतिवादी सं. 8 संजयकुमार व प्रतिवादी सं. 2 बृजमोहन के पेश किये गये है।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि वादी को प्रतिवादी सं. 8 संजयकुमार व प्रतिवादी सं. 2 बृजमोहन की मृत्यु की पूर्ण जानकारी होते हुए भी कायम मुकाम आवेदन पेश नहीं किया गया है। न्यायालय हाजा को मृत्यु की जानकारी दिये जाने के बावजूद कायम मुकाम आवेदन पेश नहीं किया गया है न्यायालय एडीजे क.सं. 2 सीकर में कायम मुकाम आवेदन दिनांक 30.4.2011 को पेश किया जा चुका है। निर्धारित अवधि 90 दिवस खत्म हो चुकी है। इसलिए दावा अबेट फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि वादी द्वारा मृत्यु की जानकारी नहीं दिये जाने से तथा वारिसान की जानकारी नहीं दिये जाने से कायम मुकाम आवेदन पेश नहीं किया जा सका है। अब वादी द्वारा वारिसान की जानकारी दी जाने पर कायम मुकाम आवेदन पेश कर दिया जायेगा।

4. हमने उभय पक्ष की योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का बगौर अवलोकन किया गया। ग्राम पचार की जमाबंदी संवत् 2057–60 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं. 468 खसरा नं. 1206, 1207 किता 2 कुल रकबा 5.60 है0 की खातेदारी रामसहाय पुत्र मनालाल, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति चेजारा सा.देह के नाम खातेदारी थी। रामसहाय की मृत्यु के पश्चात् ना.करण सं. 363 दिनांक 05.05.2000 के द्वारा रामसहाय की विरासत ग्यारसीलाल, बृजमोहन, बाबूलाल, शशिकुमार पुत्रगण रामसहाय, शशीकला पुत्री रामसहाय हि.ब. स्वीकार हुआ। वादी द्वारा विवादित भूमि के पैत्रिक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेत पेश नहीं किये गये है। वादी द्वारा न्यायालय ए.डी.जे. क.सं. 2, सीकर में प्रतिवादी सं. 8 संजय कुमार के कायम मुकाम आवेदन पेश हो चुका है लेकिन न्यायालय हाजा में वकील प्रतिवादी द्वारा आवेदन पेश किये जाने के बावजूद भी आदिनांक कायम मुकाम पेश नहीं किया गया है। मृतक संजय कुमार वादी का सगा भाई है तथा प्रतिवादी सं. 2 रिकाडेर्ड खातेदार है इसलिए रिकार्डेड खातेदार के कायम मुकाम के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवरण के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

कायम मुकाम के अभाव में दावा अबेट योग्य है। अतः कायम मुकाम के अभाव में वादी वादी अबेट किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 21.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 164/05/दावा

मुकेश कुमार बनाम ग्यारसी लाल आदि

वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम के अभाव में दावा अबेट किये जाने

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील उतरदाता/वादी की ओर से

निर्णय दिनांक– 21.07.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ